उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

SARFAESI वाद सं0– 01/2022–23

उप महाप्रबंधक, आई0डी0बी0आई0, बैंक .... आवेदक।

बनाम्

राजेश कुमार सिंह..विपक्षी।

।। आदेश ।।

09.01.2024 यह SARFAESI वाद उप महाप्रबंधक आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, मद्रासी सम्मेलनी, एल0 रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड ने मेसर्स राजेश कुमार सिंह (Proprietor & Borrower) पिता–श्री राम लगन सिंह, (Guarantor) बाल भारती स्कूल के नजदीक, चुहा बगान, दुमका–814101 A/C No-1257651100000073 के विरूद्ध SARFAESI ACT 2002 के धारा–14 के तहत् कार्रवाई करने हेतु पत्र समर्पित आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

उप महाप्रबंधक आई0डी0बी0आई0 बैंक द्वारा SARFAESI ACT 2002 के धारा–14 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Mortgage किये गये अचल सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी उप महाप्रबंधक आई0डी0बी0आई0 बैंक लिमिटेड को भौतिक दखल/कब्जा (Physical Possession) दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कर्जदार मेसर्स राजेश कुमार सिंह (Proprietor & Borrower) से बकाया ऋण की रकम को वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु विपक्षी द्वारा बकाया रकम वापस नहीं किया गया है। बैंक द्वारा SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 13(2) में विधिवत कार्रवाई करने हेतु कर्जदारों को ऋण राशि ब्याज के साथ जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित किया गया।

विपक्षी मेसर्स राजेश कुमार सिंह (Proprietor & Borrower) पिता–श्री राम लगन सिंह (Guarantor) बाल भारती स्कूल ने नजदीक चुहा बगान, दुमका–814101 (भोजपुर होटल का अंश) A/C No-1257651100000073 को निर्गत नोटिस प्राप्ति के पश्चात उनके द्वारा आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया है कि मैं उक्त रकम चुकता करने की व्यवस्था कर ही रहा था कि मेरी पुत्री जो लखनऊ में है का

एक सड़क दुर्घटना में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई तथा उसे दो–दो गंभीर ऑपरेशन से गुजरना पड़ गया इस अचानक हुए विपत्ति के कारण 03 माह से मैं अत्यधिक समय तक परेशान में रहा हूँ। इस दुर्घटना के कारण मेरा ठेका कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ और आर्थिक रूप से भी काफी मुश्किलों में रह रहा हूँ। इस वजह से मैं आपके प्रपोजल पुरा नहीं कर पाया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ एवं आप से निवेदन करता हूँ कि पूरे रकम का चुकता करने के लिए मुझे 06 माह का समय देने की कृपा की जाय, ताकि मैं यथासंभव 10 लाख रूपये माह मार्च में जमा कर दूँगा।

विपक्षी द्वारा दाखिल आवेदन को बैंक द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है एवं उनकी Security के रूप में दिया गया अचल सम्पत्ति का भौतिक दखल (Physical Possession) दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन किया। आवेदक के साथ विपक्षी की समझौता अस्वीकृत करने के पश्चात 10 माह 16 दिन से अधिक हो चुकी है तथा विपक्षी द्वारा बकाया राशि अबतक जमा नहीं किया गया है। इस बीच गायत्री सिंह विपक्षी राजेश कुमार सिंह की माता की ओर से उक्त वाद में हस्तक्षेप किया गया जो विशेष रूप से कानूनी कार्रवाही में तीसरे पक्ष है एवं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची में W.P.C No.-3348/2023 वाद दायर किया गया। गायत्री सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से संबंधित वाद के आवेदन की प्रति एवं अन्य कागजात दाखिल किया गया है। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक–523/विधि दुमका दिनांक–09.05.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका से वाद से संबंधित कागजातों का नियमानुसार जॉचकर जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अंचल अधिकारी, दुमका ने अपने पत्रांक–531/रा0, दुमका, दिनांक–19.05.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अंचल कार्यालय के ऑनलाईन नामान्तरण वाद संख्या–117/2018–19 की तत्कालीन अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक–15.01.2019 को उत्तराधिकारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो मौजा दुमका टाउन के खाता सं0–15/4 दाग सं0–1520 ,1521 अंश रकवा 15.28 डिसीमल ऑनलाईन पंजी–II के भाग वर्तमान–13 पृष्ठ संख्या–15 पर गायत्री सिंह, पिता–रामलगन सिंह के नाम से संधारित है।

गायत्री देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची में दाखिल W.P.C No.-3348/2023 में दिनांक–27.09.2023 को माननीय न्यायाधीश द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को इस न्यायालय के आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस मामले में कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 14(2) के अन्तर्गत कर्जदार मेसर्स राजेश कुमार सिंह (Proprietor & Borrower) पिता–श्री राम लगन सिह (Guarantor) बाल भारती स्कूल ने नजदीक चुहा बगान,दुमका–814101 (भोजपुर होटल का अंश) A/C No-125765110000073 झारखण्ड के विरूद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Mortgage किये गये अचल सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी महाप्रबंधक आई0डी0बी0आई0 बैंक लिमिटेड को भौतिक दखल–कब्जा (Physical Possession) दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, दुमका को (वाहन+ईंधन+चालक सहित) दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, दुमका इस कार्य हेतु पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रावधानुसार कार्रवाई करेंगे।

महाप्रबंधक आई0डी0बी0आई0 बैंक लिमिटेड उपर्युक्त वर्णित कार्यो के लिये प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस बल/चालक आदि का आकलन के अनुसार उनकी शूल्क के रूप में राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2024.02.23 11:55:24 +05:30
Location: 169.254.227.244